बिहार लोक सेवा आयोग

15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना – 800001

विज्ञापन संख्या– 23/2023 के अधीन असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के आरक्षण कोटिवार रिक्त कुल **154 (एक सौ चौवन)** पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक–04.06.2023 को आयोजित 32वीं बिहार न्यायिक सेवा (प्रारम्भिक) प्रतियोगिता परीक्षा में 1675 सफल उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में मुख्य (लिखित) प्रतियोगिता परीक्षा हेतु ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

2. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के अधिसूचना संख्या–17283, दिनांक–28.12.2016 के आलोक में प्रावधान निम्नवत है:–

(क) महिला एवं अस्थि विकलांग अभ्यर्थियों सहित आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों से प्रत्येक सिद्धान्त विषय के लिए 5 प्रतिशत कम न्यूनतम अर्हतांक होंगे एवं कुल प्राप्तांक से 5 प्रतिशत कम न्यूनतम अर्हतांक होंगे।

(ख) उच्च न्यायालय को यह अधिकार होगा कि आयोग की सहमति से लिखित परीक्षा हेतु किसी विषय का अर्हतांक या सभी विषयों का अर्हतांक निर्धारित कर सकेगा।

(ii) **चयन का आधार** :– नियुक्ति हेतु चयन, लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जायेगा।

लिखित मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम निम्नवत् है :–

(क) परीक्षा के अनिवार्य विषय–

क्र. सं.	विषय	विषय कोड	पूर्णांक
1.	सामान्य ज्ञान (सामयिक घटनाओं सहित) (General Knowledge including current affairs)	01	150
2.	प्रारंभिक सामान्य विज्ञान (Elementary General Science)	02	100
3.	सामान्य हिन्दी (General Hindi)	03	100
4.	सामान्य अंग्रेजी (General English)	04	100
5.	साक्ष्य एवं प्रक्रिया विधि (Law of Evidence & Procedure)	05	150

सामान्य हिन्दी और अंग्रेजी पत्र में न्यूनतम योग्यता प्रदायी अंक 30 होगा जिसे नहीं प्राप्त करने पर उम्मीदवार को लिखित परीक्षा हेतु योग्यताप्राप्त नहीं माना जायेगा। सामान्य हिन्दी एवं सामान्य अंग्रेजी के प्राप्तांक मेधा सूची में नहीं जोड़े जायेंगे।

(ख) परीक्षा के ऐच्छिक विषय :– (किसी तीन विषय)

उम्मीदवारों को निम्नांकित पाँच विषयों में से किसी तीन विषय को चुनने का विकल्प होगा :–

क्र. सं.	विषय	विषय कोड	पूर्णांक
6.	भारत की सांविधानिक एवं प्रशासनिक विधि (Constitutional and Administrative Law of India)	06	150
7.	हिन्दू विधि और मुस्लिम विधि (Hindu Law & Muhammadan Law)	07	150
8.	संपत्ति अंतरण विधि (Law of Transfer of Property) और साम्य सिद्धान्त (Principles of Equity), न्याय विधि–विशिष्ट और अनुतोष (Law of Trusts and Specific Relief) सहित	08	150
9.	संविदा और अपकृत्य विधि (Law of Contracts & Torts)	09	150
10.	वाणिज्य विधि (Commercial Law)	10	150

उपर्युक्त ऐच्छिक विषयों में से किसी तीन विषयों का चयन उम्मीदवारों द्वारा प्रारम्भिक परीक्षा के लिए आमंत्रित ऑनलाईन आवेदन के क्रम में किया जा चुका है। **अभ्यर्थी, आवश्यकतानुसार प्रारम्भिक परीक्षा हेतु किये गये ऑनलाईन आवेदन में चयनित ऐच्छिक विषय में परिवर्तन कर सकते हैं।**

(ग) सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–13793, दिनांक 04.10.2019 के आलोक में उक्त पदों पर नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर अन्तर्वीक्षा के लिए 1:3 के अनुपात में सफल अभ्यर्थियों को शामिल किया जायेगा।

(घ) मौखिक परीक्षा (साक्षात्कार) के लिए योग्यता प्रदायी अंक 35 प्रतिशत होगा। लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को मौखिक परीक्षा (साक्षात्कार) में उपस्थित होना अनिवार्य है। (लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर अंतिम मेधा सूची तैयार की जायेगी)

3. **आरक्षण**:– विज्ञापन संख्या– 23/2023 के अधीन प्रकाशित 32वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रारम्भिक परीक्षा के लिए आमंत्रित ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावा के आधार पर आरक्षण का लाभ देय होगा एवं उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं है।

4. **शुल्क** :–

(i) सामान्य अभ्यर्थियों के लिए– 750/– (सात सौ पचास) रूपये

(ii) केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए– 200/– (दो सौ) रूपये

(iii) बिहार राज्य की स्थायी निवासी सभी (आरक्षित/अनारक्षित वर्ग) महिला उम्मीदवारों के लिए– 200/– (दो सौ) रूपये

(iv) दिव्यांग अभ्यर्थियों (40% या उससे अधिक) के लिए– 200/– (दो सौ) रूपये

(v) अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए– 750/–(सात सौ पचास) रूपये

अभ्यर्थी को उपर्युक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाईन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा।

वैसे सभी बिहार राज्य के स्थायी निवासी महिला उम्मीदवार एवं सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि से आने वाले अभ्यर्थी, जो बिहार राज्य की स्थायी निवासी महिला/दिव्यांगता/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के लाभ का दावा करते हैं और उनके द्वारा उसी अनुरूप में परीक्षा शुल्क जमा किया जाता है, लेकिन भविष्य में वैसे अभ्यर्थी द्वारा संबंधित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है या उसपर किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न होता है, तो उन्हें रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional Examination Fee) के आधार पर अनर्हित किया जा सकता है। उक्त अभ्यर्थियों को इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि वे स्वेच्छा से परीक्षा शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों के अनुरूप जमा करते हैं तो इस बिन्दु पर उनकी अभ्यर्थिता सुरक्षित रहेगी। इस पर अभ्यर्थी स्वंय निर्णय ले सकते हैं।

5. **ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नांकित हैं:–**

1.	ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ करने की तिथि	दिनांक 05.10.2023
2.	ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि	दिनांक 25.10.2023

(i) मुख्य परीक्षा के लिए आमंत्रित ऑनलाईन आवेदन में कतिपय बॉक्स पूर्व से भरे होंगे एवं कतिपय बॉक्स रिक्त होंगे। उल्लेखनीय है कि आवेदक द्वारा 32वीं बिहार न्यायिक सेवा (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा का ऑनलाइन आवेदन भरने के समय जो विवरणी/सूचनाएँ भरी गई थी, वहीं सूचना/विवरणी मुख्य परीक्षा के ऑनलाईन आवेदन में पूर्व से भरी रहेंगी एवं उसमें किसी प्रकार के परिवर्तन का प्रावधान नहीं है। आवेदक उक्त ऑनलाइन आवेदन के खाली बॉक्स में सूचना भरते हुए आवेदन के अन्त में विज्ञापन में वर्णित प्रमाण पत्र/कागजात की विवरणी भरेंगे।

(ii) उपर्युक्त विज्ञापन के अन्तर्गत ऑनलाईन आवेदन भरने से संबंधित आवश्यक (विस्तृत) निर्देश इस विज्ञापन के साथ संलग्न है। अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन भरने के पूर्व उक्त दिशा निर्देशों का भली भाँति अध्ययन कर लेंगे तथा ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही–सही एवं सुस्पष्ट अंकित करेंगे। ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु आवश्यक (विस्तृत) निर्देश का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने पर एवं ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गयी प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेवार नहीं होगा। इस संबंध में किसी प्रकार के सुधार/परिवर्तन हेतु अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। ऑनलाईन आवेदन में भरी गयी सूचनाओं को मूल प्रमाण पत्र/ अंक पत्रों से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

(iii) ऑनलाईन भुगतान में किसी प्रकार का इन्टरनेट व्यवधान/बैंकिंग व्यवधान/गलत भुगतान/असफल भुगतान (Unsuccessful Payment/Transaction Status Failure/Transaction Status Pending) के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा तथा अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। अतः अभ्यर्थी अंतिम तिथियों का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।

6. **महत्वपूर्ण निर्देश:–**

ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अनुलग्नक की सूची में निम्नलिखित प्रमाण पत्रों के सामने अभ्यर्थी प्रमाण पत्र के निर्गत की तिथि एवं संख्या अंकित करेंगें :–

(i) मैट्रिक का प्रमाण–पत्र/अंक पत्र (जन्म तिथि के लिए)

(ii) विधि स्नातक उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र

(iii) विधि स्नातक का अंक पत्र

(iv) बार काउन्सिल ऑफ इंडिया से विधि स्नातक डिग्री की मान्यता से संबंधित संस्थान द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र

(v) वैसे महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के प्रधान द्वारा निर्गत आचरण प्रमाण पत्र जहाँ अभ्यर्थी सबसे अंत में अध्ययनरत रहा हो

(vi) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र

(vii) निवास प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए)

(viii) क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र (अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के लिए

(ix) अस्थि दिव्यांगता प्रमाण पत्र

(x) EWS प्रमाण पत्र

(xi) केन्द्र सरकार, बिहार सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर नियुक्त हों, तो सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate)

(xii) फोटोयुक्त पहचान पत्र

7. अभ्यर्थी सुनिश्चित हो लेंगे कि उनके द्वारा द्वारा किया गया ऑनलाइन परीक्षा शुल्क का भुगतान सफल (Successful) हैं एवं आवेदन भरने की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है।
8. आवेदक यह भी सुनिश्चित कर लें कि डाउनलोड किये गये आवेदन की हार्ड कॉपी के प्रत्येक पृष्ठ पर **Registration Number, Bar Code** एवं **Submitted Application Number** अंकित है। हार्ड कॉपी पर **Registration Number, Bar Code** एवं **Submitted Application Number** में से किसी एक के अंकित नहीं होने पर भी आवेदन पूर्ण रूप से भरा नहीं माना जाएगा एवं आवेदन स्वीकार नहीं होगा।
9. आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण–पत्र, अंक–पत्र साक्षात्कार के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र रहेगा।
10. योग्यता संबंधी प्रमाण–पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन–पत्र में किया है। योग्यता से संबंधित प्रमाण–पत्र के निर्गत होने की तिथि, प्रारम्भिक परीक्षा हेतु ऑनलाईन आवेदन भरने की अंतिम निर्धारित तिथि 27.03.2023 तक का होना अनिवार्य है। दिनांक 27.03.2023 के पश्चात् निर्गत प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा।
11. इस विज्ञापन के लिए निर्धारित ऑनलाईन आवेदन से अलग, मुद्रित, टंकित, हस्तलिखित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। साथ ही, अपूर्ण, अस्पष्ट तथा अहस्ताक्षरित आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।
12. ऑनलाइन आवेदन को डैशबोर्ड से डाउनलोड कर हार्ड कॉपी को अपने पास अवश्य सुरक्षित रख लेंगे। ऑनलाइन आवेदन की हार्डकॉपी आयोग कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है और यह स्वीकार्य भी नहीं होगा।

3/X/23

परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना